

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2010 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 (चैत्र 4, 1932)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008 पटल पर रखेंगी.

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले में अनेक हत्याओं के अपराधी गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले की कृषि उपमंडी अमरवाड़ा को स्वतंत्र मंडी का दर्जा न दिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य, छतरपुर जिले के बक्स्वाहा की नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री विश्वेश्वर भगत, प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले में मैग्नीज का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लक्ष्मण तिवारी, अभय कुमार मिश्रा, सदस्य, बाणसागर परियोजना के अधिकारियों द्वारा फर्जी बिलों के माध्यम से अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के करेली में रेल्वे अण्डर ब्रिज न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, जसवंत सिंह हाड़ा, यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, धार जिले के अमझोरा में अमर शहीद की प्रतिमा को तोड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री संतोष जोशी, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में चंदन वृक्षों के संरक्षण की नीति न बनाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

#### 4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत कुमार मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

#### निर्धारित

#### समय

#### 2 घन्टे

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

#### 30 मि

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

#### 30 मि.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

#### 30 मि.

(7) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

#### 30 मि.

(8) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

#### 30 मि.

(9) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

#### 30 मि.

(10) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :  
दिनांक : 24 मार्च, 2010

डॉ. ए.के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधासभा.